Fax

अशोक कांत शरण
ASHOK KANT SHARAN
IPS

पुलिस महानिदेशक
उत्तरांचल
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
Uttaranchal
12, Subhash Marg
Dehradun-248001

अ0शा0 परिपत्र संख्या: 4 /2002
दिनॉक: जनवरी 28 , 2002

प्रिय महोदय,

आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हरियाणा प्रान्त से उत्तरांचल राज्य में अवैध शराब की तस्करी की एक धटना प्रकाश में आई है। यह भी जानकारी में आया है कि सीमॉन्त राज्यों, सीमॉन्त क्षेत्रों में शराब तस्करों के अनेक गोदाम स्थित है जहॉ से वह मौका पाते ही सीमॉन्त राज्यों से शराब की तस्करी कर सकतें है।

उत्तरांचल राज्य में आगामी विधान सभा चुनाव के अवसर पर शराब के तस्कर इस अवसर का फायदा उठा कर उत्तरांचल राज्य के जनपदों में अवैध शराब की तस्करी कर सकते है। उत्तरॉचल राज्य के जनपद देहरादून, हरिद्वार तथा जनपद ऊधमसिहं नगर ही दूसरे राज्यों की सीमा से जुडे है। अतः इस जनपदों में इस ओर विशेष सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। राजनैतिक दल भी अपने मतदाताओं को लुभाने हेतु इस अवसर का फायदा उठा सकते है। अतः आगामी विधान सभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है।

आपसे अनुरोध है कि आप अवैध शराब की रोकथाम (राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर) हेतु दिनॉक: 01.02.2002 से 15 दिवस की अवधि हेतु एक व्यापक अभियान चलायें तथा अभियान की समाप्ति पर उससे प्राप्त सफलता की सूचना अपने परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से दिनॉक: 20.02.2002 तक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था को प्रेषित करेंगे।

भवदीय,
(अशोक कान्त शरण)
27/1/2002

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, (नाम से)
उत्तरांचल।

प्रतिलिपि:–

1. पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल/कुमॉयू परिक्षेत्र को इस आशय से कि वे भी इस सम्बन्ध में अपने स्तर से समुचित निर्देश पारित करने का कष्ट करें जिससे बाहरी राज्यों से एवं राज्य के अन्दर अवैध तस्करी पर रोक लगायी जा सके।
2. पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं काननू व्यवस्था को इस निर्देश के साथ कि वे प्रगति की समीक्षा कर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी मुझे दिनॉक: 25.02.2002 तक प्रेषित करेगें।

———